निर्णय बइजलास श्री दिव्यांशु शर्मा आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण सं० - 82/19
दायरा दिनांक - 10-7-19
निर्णय दिनांक - 29-7-22

उनवान

1- ज्ञानदेवी पत्नी दामोदर सिंह जाति राजपूत निवासी बाबतीपुरा, बारां

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी सरोली तह० बारां
2. राज० सरकार जरिये तहसीलदार बारां

वाद पत्र धारा 188,183 RTA
निर्णय दिनांक :- 29-7-22

उपस्थित अभिभाषक - 1 श्री युगकिशोर शर्मा - वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 183 RTA विरुद्ध प्रति वादीगण के नाम से इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम खेड़लीकोटा तह० बारां के आराजी ख०नं० 438 रकबा 1.06 हे० स्थित है उक्त आराजी की वादिया एक मात्र खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी वादिया द्वारा दिनांक 29.9.2001 से जगन्नाथ पुत्र देवीलाल शूद्र नि० खेड़ली कोटा से जरिये इकरारनामा बय कर कब्जा काश्त में ले लिया था तथा दिनांक 9.11.2006 को उक्त आराजी के विक्रय का पंजीयन जगन्नाथ द्वारा वादिया के हक में कराने पर उक्त आराजी वादिया के खाते एवं कब्जे काश्त में दर्ज हो गई थी तब से वादिया उक्त आराजी के कब्जे एवं आधिपत्य में है। प्रतिवादी सं०1 बाबूलाल वादिया की उक्त आराजी [illegible] जबरन कब्जा करना चाहता है तथा वह बार-बार उक्त आराजी को स्वयं काश्त करने की धमकी दे रहा है वादिया [illegible] प्रतिवादी की उपस्थिति में पैमाइश कराया जाकर यह भी बता दिया [illegible] वादिया की आराजी की सीमा से

लगातार - 2

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:41:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वह जबरन अपनी बता कर अतिक्रमण कर रहा है लेकिन प्रति. वादिया की पैमाइश को नहीं मानकर उक्त विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है वादिया विवादित आराजी की एक मात्र खातेदार काश्तकार है तथा उक्त आराजी उसके कब्जे काश्त में है तथा वह उक्त आराजी पर प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी एवं नालिशी है वादिया ने उक्त आराजी को वर्तमान में हंक जोत कर फसल बोने के लिए तैयार किया हुआ है। वाद को पेश करने का वाद कारण प्रतिवादी द्वारा वादिया की जमीन को जबरन हंकने का प्रयास करने पर दिनांक 1.7.19 को उत्पन्न हुआ। वादिया द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादिया का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद इत्तला के न्याया. मे उप. नहीं होने के कारण उसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी। वादिया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबंदी ग्राम खेडली केशो संवत 2071-74 खाता नं. 17 पेश की गयी तथा वादी के आवेदन का शपथ पत्र पेश हुआ।

बहस अभिभाषक वादिया सुनी गयी बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खेडली केशो मे स्थित है जो वादिया के खातेदारी मे दर्ज चली आ रही है। प्रतिवादी बाहुबल जबरन ताकत के बल पर कब्जा करना चाहता है वादिया द्वारा अपनी भूमि की पैमाइश करा ली परन्तु प्रतिवादी सीमा ज्ञान में वह जबरन अपनी बताकर अतिक्रमण कर रहा है प्रतिवादी वादिया की पैमाइश को नहीं मान कर उक्त विवादित आराजी पर कब्जा करने को आमादा है प्रतिवादी को पाबंद किया जावे कि वह वादिया के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करे। वादिया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गयी पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम खेडली केशो संवत 2071-74 खाता [illegible] का नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया जाता है इससे यह [illegible] है कि विवादित आराजी वादिया के खातेदारी एवं [illegible] है जिस पर प्रतिवादी जबरन कब्जा करना चाहता है वादिया द्वारा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:41:35 IST
Reason: SelfAttested

लगातार - 3

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

से पाबन्द कराने व प्रतिवादी है वादी की भूमि से बेदखल कर कब्जा दिलाने का निवेदन किया है वादिया की भूमि की टीम गठित कर सीमा ज्ञान कराने ~~पर~~ पर वादिया की भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा पाया जाता है तो प्रतिवादी को बेदखल करवाया जाना ~~उचित~~ न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम खेडलीकलां तह. बारां के ख. नं. 438 रकबा 1.06 हेक्टेयर भूमि की टीम गठित कर सीमा ज्ञान कराने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है यदि वादिया की भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा पाया जाता है तो प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादिया को दिलाया जावे तथा प्रतिवादी को पाबन्द किया जाता है कि वह वादिया के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त के किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करे। तदनुसार डिक्री पत्र जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(दिव्यांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:41:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...ालय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

...संख्या 82/19	धारा अंतर्गत 188, 183 RTA	निर्णय दिनांक 27.7.22
समक्ष - श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री बृजकिशोर शर्मा	अभिभाषक प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

ज्ञानदेवी पत्नी दामोदरसिंह जाति राजपूत निवासी बालदी नगर बारां

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी सेरोली तह० बारां
2. राज० सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित काराजी वाके ग्राम खेड़ली मेशो तह० बारां के ख०नं० 438 रकबा 1.06 है० प्रति की टीम गठित कर सीमाज्ञान कराने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है यदि वादिया की भूमि पर प्रति वादी का कब्जा पाया जाता है तो प्रति वादी को बेदखल कर कब्जा वादिया को दिलाया जावे तथा प्रति वादी को पाबन्द किया जाता है कि वह वादिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करे।

साथ ही नियमानुसार .... रू० का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक .... को निर्गत किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:41:35 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		

Scanned with CamScanner